राजस्थान–सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel.2227725)

क्रमांकः एफ 61(9)SSAAT/संस्थापन/पार्ट फाइल/2019/92 जयपुर, दिनांकः 11-01-2021

कार्यालय आदेश (आदेश संख्या – 16/2020)

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अनुमोदन अनुसार आदेश दिनांक 09.12.2020 द्वारा समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इस क्रम में शासी निकाय की द्वितीय बैठक दिनांक 29.12.2020 में श्रीमान् मुख्य सचिव, सह अध्यक्ष, शासी निकाय SSAAT द्वारा दिनांक 26.01.2021 तक समस्त ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। अतः सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार सोसायटी में कार्यरत अधिकारियों को उनके कार्य प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए निवासीय टेलीफोन अथवा मोबाइल फोन के बिलों के वास्तविक व्यय के पुर्नभरण निम्नानुसार वर्णित तालिका एवं शर्तो के साथ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र. स.	ग्रेड–पे	दरे प्रतिमाह (अधिकतम)
1	5400 एवं अधिक	500
2	4800	400

शर्तें :–

1. निवासीय टेलीफोन अथवा पोस्टपेड/प्रीपेड मोबाईल कनेक्शन स्वयं सम्बन्धित अधिकारी के नाम से होगा तथा मोबाइल हैण्डसेट एवं निवासीय टेलीफोन यंत्र भी स्वयं का निजी होगा।
2. निवासीय टेलीफोन अथवा मोबाईल फोन पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित मासिक वित्तीय सीमा से अधिक व्यय होने पर ऐसे अधिक व्यय का पूर्व महिनों के कम व्यय से बची राशि से सामायोजन किया जा सकेगा।
3. बिलों का भुगतान सम्बन्धित टेलीफोन धारक द्वारा निजी तौर पर किया जाकर पुनर्भरण के लिये जमा की रसीद विधिवत रूप से सत्यापित कर अपनी बैंक खाता संख्या अंकित करते हुए कार्यालयध्यक्ष को प्रेषित की जावेगीं।
4. उरोक्त व्यय वास्तविक रूप से किये गये व्यय का पुनर्भरण है। अतः अधिकारी द्वारा कार्यालय उपयोग के लिये गये दूरभाष/मोबाईल बिल, रिचार्ज रसीद के आधार पर भुगतान किया जावेगा जिसमें दूरभाष कॉल्स एवं इंटरनेट डाटा आदि (देय करों सहित) सम्मिलित होगा।

उक्त आदेश श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि.एवं प.रा. विभाग सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति (SSAAT) की आईडी संख्या 4661 दिनांक 29.12.2020 से अनुमोदित है।

सचिव
ग्रामीण विकास विभाग, सह उपाध्यक्ष
कार्यकारी समिति (EC) SSAAT

क्रमांकः एफ 61(112)SSAAT/संस्थापन/पार्ट फाइल/2019 जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव सह अध्यक्ष महोदय शासी निकाय SSAAT।
2. श्रीमान् सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, (SSAAT)।
4. निजी सचिव, सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.रा. विभाग, सह उपाध्यक्ष कार्यकारी समिति (EC) SSAAT।
5. कार्यालयध्यक्ष SSAAT।
6. .आहरण एवं वितरण अधिकारी SSAAT।
7. समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी–प्रथम एवं द्वितीय/प्रोग्रामर/निजी सहायक SSAAT।
8. रक्षित पत्रावली SSAAT।

निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी, राज. जयपुर

E Drive//Gopal /karyala aadesh